सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति
(2021-2022)

17वीं लोक सभा

74

चौहत्तरवां प्रतिवेदन

[नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय (एनएमएमएल) नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब]

(16.03.2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मार्च 2022/फाल्गुन , 1943(शक)

विषय सूची

पृष्ठ

समिति की सरंचना (2021-2022) (iii)

प्राकथन (v)

प्रतिवेदन नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय (एनएमएमएल) नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब; 01

अनुबंध

अनुबंध-I एनएमएमएल को गत पाँच वर्षों के दौरान सहायता अनुदान प्राप्त हुए तत्संबंधी विवरण; 08

अनुबंध-II नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय (एनएमएमएल), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की तिथियों को दर्शाने वाला विवरण; 09

अनुबंध-III विलम्ब के कारणों के साथ-साथ भिन्न-भिन्न कार्यकलापों को दर्शाने वाला विवरण; 10

अनुबंध-IV वर्ष 2015-16 से 2019-20 के एनएमएमएल के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा-परीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप देने और प्रत्येक चरण पर मंत्रालय द्वारा किए गए समय के संबंध में सूचना; तथा 13

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I समिति की 10 मार्च 2021 को हुई बैठक का कार्यवाही का सारांश के उद्धरण 17

परिशिष्ट-II समिति की 20 दिसंबर 2021 को हुई बैठक का कार्यवाही का सारांश के उद्धरण 19

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति का गठन

(2021-2022)

सभापति

श्री रितेश पांडेय

सदस्य

2. डॉ शफीकुर्रहमान बर्क
3. श्री मारगनी भरत
4. डॉ. ए. चेल्ला कुमार
5. श्री पल्लव लोचन दास
6. श्री चौधरी मोहन जटुआ
7. अली केसर महबूब चौधरी
8. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे
9. श्री राजा अमरेश्वर नाईक
10. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
11. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
12. श्री टी.एन. प्रथापन
13. श्री एस. रामलिंगम
14. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका
15. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1. श्रीमती सुमन अरोड़ा - संयुक्त सचिव
2. श्री मुनिष कुमार रेवाड़ी - निदेशक
3. श्रीमती मंजिन्दर पब्बी - अवर सचिव

प्राक्कथन

मैं, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-22) का सभापति, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर नेहरू स्मारक संग्रहालय और ग्रंथालय (एनएमएमएल), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के संबंध में समिति का यह 74वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के पहले प्रतिवेदन और दूसरे प्रतिवेदन (5वीं लोक सभा) और दूसरे प्रतिवेदन (छठी लोक सभा), जिन्हें क्रमश: 08 मार्च, 1976; 12 मई, 1976 और 22 दिसम्बर, 1977 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, में की गई सिफारिशों के अनुसार, संगठन/कंपनी के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ माह के भीतर अर्थात 31 दिसंबर तक सभा पटल पर रखा जाना अपेक्षित है।

3. समिति ने नेहरू स्मारक संग्रहालय और ग्रंथालय (एनएमएमएल), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के मामले पर विचार किया तथा 10 मार्च, 2021 को हुई अपनी बैठक में संस्कृति मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया।

4. समिति ने 20 दिसम्बर, 2021 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया।

5. समिति, संस्कृति मंत्रालय तथा नेहरू स्मारक संग्रहालय और ग्रंथालय (एनएमएमएल), नई दिल्ली के अधिकारियों द्वारा लिखित उत्तर और अन्य सामग्री/जानकारी प्रस्तुत करने तथा समिति के समक्ष अपने विचार व्यक्त करने के लिए उनका धन्यवाद करती है।

6 . समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा दिए गए बहुमूल्य सहयोग हेतु समिति उनकी सराहना करती है।

7. समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को प्रतिवेदन के अंत में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली **रितेश पाण्डेय**
08 फरवरी,2022 **सभापति**
19 माघ, 1943(शक) **सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति**

प्रतिवेदन

नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय (एनएमएमएल) नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब

नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय (एनएमएमएल) की स्थापना सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत 01.04.1966 को की गई थी। एनएमएमएल मुख्यत: एक शोध संस्थान है और यह सामाजिक विज्ञान, विशेषकर आधुनिक भारतीय इतिहास में उच्च स्तर के शोध कार्य तथा संग्रहालय एवं पुस्तकालय की स्थापना, उनके रखरखाव और संचालन में कार्यरत है। यह गैर-लाभ-अर्जक, गैर-निर्माण निकाय है जो संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूर्णत: वित्तपोषित है।

2. नेहरू स्मारक संग्रहालयएवं पुस्तकालय (एनएमएमएल) सोसाइटी के संगम ज्ञापन, नियम एवं विनियम की धारा 48 (क) के अनुसार एनएमएमएल के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को संसद के पटल पर निर्धारित अवधि में रखना होता है:-

"वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को प्रति वर्ष निर्धारित समयावधि में भारत सरकार को अग्रेषित कर दिया जाएगा जिससे कि इन्हें संसद के सदनों में रखा जा सके।"

3. एनएमएमएल को गत पाँच वर्षों के दौरान सहायता अनुदान वेतन, सामान्य और पूंजीगत परिसंपत्तियों को सृजन (स्वच्छता कार्य योजना समेत) शीर्षों के तहत आवृति अनुदान प्राप्त हुए हैं। एनएमएमएल को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 'भारत के प्रधान मंत्रियों पर संग्रहालयों (एम ओ पी एम) संबंधी परियोजना के तहत भी अनुदान प्राप्त हुए हैं। वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक की अवधि में प्राप्त धनराशि का ब्यौरा अनुबंध-एक में दिया गया है।

4. समिति ने 08 मार्च, 1976 को सदन में प्रस्तुत अपने पहले प्रतिवेदन (5वीं लोकसभा) में इस बात पर जोर दिया है कि स्वायत्त संगठनों को चाहिए कि वे अपने वार्षिक प्रतिवेदनों, लेखा परीक्षित लेखाओं और समीक्षा विवरणों को संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के नौ महीनों के भीतर सभा पटल पर रखें । साथ ही संगठन के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की जिम्मेवारी प्रशासनिक मंत्रालय की भी होती है। हालाँकि यदि किन्हीं कारणों से वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को नौ महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर नहीं रखा जा सका तो संबद्ध मंत्रालय को चाहिए कि वे उक्त अवधि के समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर या फिर जैसे ही सदन समवेत हो, जो भी बाद में हो, एक विवरण सदन के पटल पर रखें जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि किन कारणों से इन दस्तावेजों को समय से सभा पटल पर नहीं रखा जा सका।

5. सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति, लोक सभा की नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय (एनएमएमएल), नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 से 2019-2020 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं की संवीक्षा में यह बात नोटिस में आई है कि एनएमएमएल के वर्ष 2015-2016 और 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को संस्कृति मंत्रालय द्वारा संसद (लोक सभा) में क्रमश: 15 और 12 महीने के विलम्ब से सभा पटल पर रखा

गया था: जबकि 2017-2018, 2018-2019 और 2019-2020* के दस्तावेजों को अभी तक सभा पटल पर नहीं रखा गया है। एनएमएमएल, नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की वास्तविक तिथि और विलम्ब की सीमा अनुबंध दो में दी गई हैं।

6. समिति की ओर से यह पूछे जाने पर कि संस्थान के वर्ष 2015-2016 से 2019-2020 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारण क्या हैं तो मंत्रालय ने विलम्ब के कारणों के साथ-साथ भिन्न-भिन्न कार्यकलापों को विस्तार से बताया; जैसा कि अनुबंध-तीन में बताया गया है।

7. समिति ने यह जानना चाहा कि क्या मंत्रालय इस बात से सहमत है कि दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब यह दर्शाता हैं कि संसद में पत्रों को समय से सभा पटल पर रखने के मामले को ज्यादा महत्व नहीं दिया और चीजों को लापरवाही से लिया गया। जवाब में मंत्रालय ने बताया कि:-

"जी, नहीं। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लेखाओं की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट एनएमएमएल को अक्टूबर,2019 में प्राप्त हुई थी। इसे कार्यकारी समिति, एनएमएमएल द्वारा 17 फरवरी, 2020 को अनुमोदित कर दिया गया था। तथापि, एजीएम का अनुमोदन प्रतीक्षित है जो कोविड-19 महामारी के कारण प्राप्त नहीं किया जा सका । कोविड-19 महामारी के कारण वित्तीय वर्ष 2018-19 के लेखा भी विलंबित हो गए। एजीएम का आयोजन जल्द ही किए जाने का प्रस्ताव है। "

8. समिति ने मंत्रालय से आगे यह भी कहा कि वे एनएमएमएल के वर्ष 2015-2016 से 2019-2020 तक के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप देने तथा इसके प्रत्येक चाल में मंत्रालय की ओर से लिए जाने वाले समय के मामले में सूचना प्रस्तुत करें। इस संबंध में प्राप्त उत्तर अनुबंध चार में दिया गया हैं।

9. यह पूछे जाने पर कि मंत्रालय/एनएमएमएल ने उन चरणों की पहचान की है जिन पर इन वर्षों के दौरान विलंब हुए थे? यदि हां तो भविष्य में इन विलंबों को दूर करने के लिए क्या प्रस्ताव है, मंत्रालय ने बताया कि:-

> "वित्तीय वर्ष 2016-17 से, एनएमएमएल का प्रबंधन बदल गया और तब से एनएमएमएल सोसाइटी के अंतिम लेखाओं के संकलन एवं प्रस्तुतिकरण में सुधार लाने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं ताकि उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रस्तुत किया जा सके और उन्हें और अधिक पारदर्शी एवं स्वत: स्पष्ट बनाया जा सके। लेखाओं के संकलन में एनएमएमएल की ओर से किसी प्रकार का विलंब लेखाओं में किए गए सुधार कार्य के कारण हुआ। हाल ही में, एनएमएमएल के वित्त एवं लेखा स्कंध में दो नए पद अर्थात वित्तीय नियंत्रक (आईएएएस काडर का कोई अधिकारी) और आंतरिक लेखा परीक्षक (भारत सरकार के लेखा-परीक्षा विभाग का कोई अधिकारी) सृजित किए गए हैं और उन्हें भर दिया गया है ताकि लेखाओं का समुचित रखरखाव और लेखाओं का समय पर संकलन सुनिश्चित किया जा सके।"

***2017-18 से 2019-20 तक के 13.12.2021 को और 2019-20 के 7.2.2022 को सभापटल पर रखे गए।**

10. समिति द्वारा यह पूछे जाने पर कि इन वर्षों के दौरान एनएमएमएल के वार्षिक लेखाओं की लेखा-परीक्षा करने के प्रयोजन से लेखा-परीक्षकों की नियुक्तियों में विलंब हुआ है तथा लेखाओं की लेखा-परीक्षा और अंततः लेखा-परीक्षा प्राधिकारियों से अंतिम लेखा-परीक्षा रिपोर्टों की समय पर प्राप्ति के मुद्दे को मंत्रालय द्वारा किस प्रकार निपटाया गया, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया :" -

"एनएमएमएल सोसाइटी के लेखाओं की लेखा परीक्षा महानिदेशक लेखा-परीक्षा (महालेखाकार) कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित की जाती है। एनएमएमएल के लेखाओं को उनके अनुमोदन के पश्चात नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय को अग्रेषित कर दिया गया।

हाल ही में, एनएमएमएल के वित्त एवं लेखा स्कंध में दो नए पद अर्थात वित्तीय नियंत्रक (आईएएएस काडर का कोई अधिकारी) और आंतरिक लेखा परीक्षक (भारत सरकार के लेखा-परीक्षा विभाग का कोई अधिकारी) सृजित किए गए हैं और उन्हें भर दिया गया है ताकि लेखाओं का समुचित रखरखाव और लेखाओं का समय पर संकलन सुनिश्चित किया जा सके।

इसके अलावा, यह मंत्रालय एनएमएमएल के साथ लेखाओं की लेखा-परीक्षा और अंतिम लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की समय से प्राप्ति के मामले का नियमित रूप से अनुसरण कर रहा है क्योंकि ये दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के प्रयोजन के लिए एनएमएमएल को अनुदान जारी करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और एनएमएमएल की वार्षिक रिपोर्ट/संपरीक्षित लेखाओं को शामिल किए जाने के लिए प्राप्त किए जाने आवश्यक है। "

11. मंत्रालय ने बताया कि संस्थान को दस्तावेजों के हिन्दी में अनुवाद और बाद में उनकी छपाई के संबंध में कोई कठिनाई नहीं आई।

12. समिति ने यह भी पूछा कि क्या एनएमएमएल के दस्तावेजों के लिए अनुमोदन प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकारी की बैठक आयोजित करने में मंत्रालय/एनएमएमएल के समक्ष किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक समस्या आई थी, मंत्रालय ने निम्नवत बताया :

" ऐसी कोई प्रक्रियागत कठिनाई मौजूद नहीं हैं। यह विलंब मुख्यतः कोविड-19 महामारी और एनएमएमएल सोसाइटी की एजीएम के आयोजन के कारण हुआ। "

13. यह पूछे जाने पर कि क्या एनएमएमएल के लेखाओं को तेजी से और समय पर संकलित करने को सुविधाजनक बनाने हेतु लेखा प्रक्रिया को कम्प्यूटरीकृत किया गया है? यदि नहीं, तो इस संबंध में मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया : -

"एनएमएमएल थिन क्लाइंट सिस्टम के कार्यान्वयन द्वारा लेखाओं के लेखांकन और संकलन सहित अपने सभी कार्यों को कम्प्यूटरीकृत बना रहा है। इसके अलावा, सभी लेखांकन रिकॉर्डों का रखरखाव टैली सॉफ्टवेयर में किया जाता है।"

14. समिति द्वारा मंत्रालय से यह भी पूछे जाने पर कि लेखाओं का समय पर संकलन सुनिश्चित करने और लेखा-परीक्षा के समय लेखा-परीक्षा प्रश्नों को कम करने के लिए क्या एनएमएमएल के पास कोई आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्य प्रणाली मौजूद है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

"हाल ही में, एनएमएमएल के वित्त एवं लेखा स्कंध में दो नए पद अर्थात वित्तीय नियंत्रक (आईएएएस काडर का कोई अधिकारी) और आंतरिक लेखा परीक्षक (भारत सरकार के लेखा-परीक्षा विभाग का कोई अधिकारी) सृजित किए गए हैं और उन्हें भर दिया गया है ताकि लेखाओं का समुचित रखरखाव और लेखाओं का समय पर संकलन सुनिश्चित किया जा सके।"

15. समिति द्वारा यह भी पूछे जाने पर कि क्या एनएमएमएल या मंत्रालय, किसी के भी द्वारा कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है जिसमें वार्षिक लेखाओं और लेखापरीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने में निहित प्रत्येक चरण पर कार्य को पूरा करने के लिए मानक समय विनिर्दिष्ट किया गया है. मंत्रालय ने निम्नवत बताया : -

"समय-समय पर महानिदेशक लेखापरीक्षा कार्यालय और भारत सरकार द्वारा अनुबंधित समय-सीमाओं/निर्देशों का अनुपालन करने के प्रयास किए जाते हैं।

16. समिति ने मंत्रालय/एनएमएमएल से यह भी पूछा कि ऐसा कोई तंत्र मौजूद है जिससे इस संबंध में कार्य की प्रगति की निगरानी की जा सके और दस्तावेजों को समय पर रखा जाना सुनिश्चित किया जा सके, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया : -

"मंत्रालय इस मामले को एनएमएमएल के साथ लगातार उठा रहा है और एनएमएमएल को अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय-सीमा का अनुपालन करने हेतु नियमित रूप से अनुस्मारक/निर्देश जारी किए जा रहे हैं। ये प्रावधान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एनएमएमएल के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) का हिस्सा रहे हैं।"

17. क्या मंत्रालय और एनएमएमएल, दोनों द्वारा भविष्य में लेखा वर्ष की समाप्ति से नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर संसद के समक्ष दस्तावेजों को समय पर रखा जाना सुनिश्चित करने हेतु सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है के बारे में भी पूछे जाने पर मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया :

"हाल ही में, एनएमएमएल के वित्त एवं लेखा स्कंध में दो नए पद अर्थात वित्तीय नियंत्रक (आईएएएस काडर का कोई अधिकारी) और आंतरिक लेखा परीक्षक (भारत सरकार के लेखा-परीक्षा विभाग का कोई अधिकारी) सृजित किए गए हैं और उन्हें भर दिया गया है ताकि लेखाओं का समुचित रखरखाव और लेखाओं का समय पर संकलन सुनिश्चित किया जा सके। "

18. समिति द्वारा वर्ष 2017-18 और 2018-2019 के लिए संस्थान के वार्षिक रिपोर्टों और संपरीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने से संबंधित अद्यतन स्थिति के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया : -

"वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 की वार्षिक रिपोर्टें और संपरीक्षित लेखाओं को एनएमएमएल सोसाइटी की कार्यकारी परिषद (ईसी) द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और ये अगली एजीएम में इसे अंगीकार करने के लिए एनएमएमएल सोसाइटी के समक्ष रखे जाने के लिए तैयार हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतिम लेखाओं को प्रमाणन लेखा-परीक्षा आयोजित करने के लिए महानिदेशक लेखापरीक्षा कार्यालय में भेज दिया गया है।

वैश्विक कोविड-19 महामारी और सरकार द्वारा उसके परिणामस्वरूप लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान लेखाओं के संकलन में विलंब हुआ है। यहां तक कि वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए दिसम्बर, 2020 माह में महालेखाकार कार्यालय से एनएमएमएल द्वारा पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट (एसएआर) प्राप्त की गई थी।

19. वर्ष 2015-2016 से 2019-2020 के वर्षों के लिए नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय (एनएमएमएल), नई दिल्ली की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखाओं सभा पटल पर रखने में विलंब के कारणों की और जांच करने के लिए, सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (लोकसभा) ने 10 मार्च, 2021 को संस्कृति मंत्रालय और एनएमएमएल, नई दिल्ली के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया।

20. एनएमएमएल के प्रतिनिधि ने समिति के समक्ष साक्ष्य के दौरान विलंब के संबंध में निम्नानुसार बताया : -

“2015-16 और 2016-17 की रिपोर्ट मार्च 2018 और दिसंबर 2018 में 12 और 15 माह के विलंब के साथ सभा पटल पर रखा गया . 2017-18 और 2018-19 की वार्षिक रिपोर्ट और .लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार हैं, लेकिन उन्हें एजीएम की मंजूरी मिलनी शेष है , जिसकी अध्यक्षता माननीय प्रधान मंत्री कर रहे हैं।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने आगे बताया :-

"... मंत्रालय की ओर से, हर साल उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद और धनराशि जारी करने से पहले, सोसायटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाते हैं और इस तथ्य का उल्लेख हर साल समझौता ज्ञापन में किया जाता है। कार्यकारी परिषद की बैठक में भी यह मुद्दा उठाया गया है।"

संस्थान के प्रतिनिधि ने समिति को यह आश्वासन भी दिया कि: -

> "नहीं सर, हम संवैधानिक जिम्मेदारियों को बहुत गम्भीरता से लेते हैं और मैं इसीलिए आप के सामने यह बात रखना चाहूंगा कि हमारी जो लास्ट एजीएम है, वह वर्ष 2018 में जुलाई में हो पाई थी। हमारा प्रोसीजर वेलस्टैब्लिश्ड है। जब ऑडिटेड अकाउंट्स हमारे पास रिसीव हो जाते हैं तो हमारी एजीएम में वे अप्रूव होते हैं और उसके बाद ही उनको पार्लियामेंट में भेजा जाता है।
>
> सर, वर्ष 2019 में एजीएम इसलिए नहीं हुई थी, क्योंकि जो ऑडिटेड रिपोर्ट थी, वह हमें काफी लेट मिली थी। इसके अलावा कोरोना की प्रॉब्लम शुरू हो गयी। चूंकि एजीएम का अकाउंट हम सर्कुलेशन के थ्रू अप्रूव नहीं करा सकते थे, इसलिए हमें वर्ष 2020 तक वेट करना पड़ा।"

21. अंतिम लेखाओं के संकलन और प्रस्तुतिकरण में सुधार के लिए किए जा रहे ठोस प्रयासों के बारे में पूछे जाने पर, एनएमएमएल के प्रतिनिधियों ने निम्नानुसार बताया : -

“…. बहुत प्रयासों के बाद एनएमएमएल में अगस्त, 2020 में ही वित्तीय नियंत्रक का पद सृजित किया गया था। हमारे वित्तीय नियंत्रक ने अक्टूबर के महीने की शुरुआत में कार्य भार संभाला । अपने कार्यभार ग्रहण करने के बाद से, वह ऐसी प्रक्रियाओं और प्रणालियों को विकसित करने में व्यस्त रहे हैं जो यह सुनिश्चित करती हैं कि लेखे समय पर तैयार किए जाएं।"

उन्होंने आगे बताया -

"... हमारे एमओए के अनुसार मंत्रालय का वित्तीय सलाहकार वित्तीय मामलों के बारे में संस्थान का मार्गदर्शन करेगा। पिछले 55 सालों से यही हो रहा है। इसलिए, हाल ही में कार्यकारी परिषद ने महसूस किया कि यह पर्याप्त नहीं था और हमें अपने स्वयं के वित्तीय विशेषज्ञ की आवश्यकता थी। इस तरह यह पद सृजित किया गया ।"

22. सभा पटल पर रखे गए पत्रों की आगे की जांच पर, समिति ने पाया कि एनएमएमएल के दस्तावेज सभा पटल पर रखने में विलंब हाल का मामला नहीं है। समिति ने वर्ष 1967-97 से 2000-2001 के लिए एनएमएमएल की वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखाओं को रखने में विलंब के मामले पर भी विचार किया। मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत उत्तरों की जांच के आधार पर समिति ने 18 मार्च, 2005 को सदन में प्रस्तुत अपने (तीसरे प्रतिवेदन14वीं लोक सभा) में सिफारिश की थी कि:-

"4.14 ऐसा प्रतीत होता है कि दस्तावेजों को अंतिम रूप देने में शामिल विभिन्न चरणों को पूरा करने , जैसे वार्षिक लेखाओं और रिपोर्ट को अंतिम रूप देना/संकलन करना, लेखाओं की ऑडिटिंग, सक्षम प्राधिकारी से दस्तावेजों का अनुमोदन, अनुवाद और मुद्रण, सभा पटल पर रखे जाने के लिए मंत्रालय द्वारा प्रक्रमण के लिए लक्ष्य तिथियों को इंगित करने वाली कोई विस्तृत समय सारिणी नहीं है। समिति आग्रह करती है कि यह शीघ्र किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस प्रकार निर्धारित समय सारिणी का कड़ाई से पालन किया जाता है। समिति इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत होना चाहेगी।"

टिप्पणियाँ / सिफारिशें

23. समिति नोट करती है कि संस्कृति मंत्रालय और नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय (एनएमएमएल) ने नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को संसद के दोनों ही सदनों के सभा पटल पर निर्धारित समयावधि में रखने के लिए एनएमएमएल सोसाइटी के संगम ज्ञापन नियम एवं विनियम की धारा 48(क) के उपबंधों का अनुपालन नहीं किया है। समिति यह नोट कर बहुत निराश है कि संस्कृति मंत्रालय ने नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय के वर्ष 2015-16 और 2016-17 के इन दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने के संबंध में निर्धारित समय-सीमा का पालन नहीं किया है; जिन्हें 12 से 15 महीनों के विलम्ब से सभा पटल पर रखा गया था। समिति गंभीर चिन्ता के साथ यह भी नोट करती है कि वर्ष 2017-18 से 2019-2020 तक के उन दस्तावेजों को जिन्हें संबंधित वर्ष के 31 दिसम्बर तक सभा पटल पर रखा जाना आवश्यक था, अभी तक सभा पटल पर नहीं रखा गया हैं।

24. मंत्रालय के उत्तरों से समिति यह पाती है कि एनएमएमएल ने वार्षिक लेखाओं के संकलन, लेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए लेखा परीक्षकों से सम्पर्क करने से लेकर दस्तावेजों को मंत्रालय में भेजने तक प्रत्येक चरण में लापरवाही पूर्ण रवैया अपनाया है। अत: समिति इस बात की पुरजोर सिफारिश करती है कि ऐसे मसलों को हल करने के लिए मंत्रालय/एनएमएमएल को भविष्य में अग्रिम कार्रवाई करनी चाहिए; क्योंकि इससे अपेक्षित दस्तावेजों को अंतिम रूप देने की संपूर्ण प्रक्रिया प्रभावित होती है।

25. समिति आगे यह भी पाती है कि वर्ष 2017-2018 से 2019-2020 तक की अवधि में एजीएम से अनुमोदन लेने में अनुचित विलम्ब हुआ है। समिति, मंत्रालय/एनएमएमएल के इस रवैये से निराश है और चाहती है कि एजीएम की मीटिंग समय से या तो ऑन लाइन बुलाई जानी चाहिए या फिर परिचालन के जरिए दस्तावेजों को अनुमोदित कराया जाना चाहिए, जैसा कि अन्य मंत्रालयों द्वारा किया जा रहा है। समिति, मंत्रालय को यह सख्त निदेश देती है कि वे वर्ष 2017-2018 से 2019-2020* तक के लम्बित पड़े अपेक्षित दस्तावेजों को आगे कोई और विलम्ब किए बिना सभा पटल पर रखें और यह सुनिश्चित करें कि अपेक्षित दस्तावेजों को समय से सभा पटल पर रखा जाए, जैसा कि आश्वस्त किया गया हैं।

26. समिति आगे यह भी नोट करती है कि संस्कृति मंत्रालय एनएमएमएल के दस्तावेजों को निर्धारित समय में संसद के दोनों ही सदनों में सभा पटल पर रखा जाना सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी निगरानी तंत्र बनाने में नाकाम रहा है जो एक गंभीर चिन्ता का विषय है। समिति सिफारिश करती है कि भविष्य में दस्तावेजों को समय से सभा पटल पर रखना सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा व्यापक व समग्र प्रयास किए जाने चाहिए और इन निदेशों के अनुपालन और साथ ही भविष्य में ऐसे विलम्ब से बचने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए उपायों से भी समिति को अवगत कराया जाना चाहिए।

27. समिति, मंत्रालय से यह भी आग्रह करती है कि यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से एनएमएमएल के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को निर्धारित समय में सभा पटल पर नहीं रखा जा सका तो उन कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण कि इन अपेक्षित दस्तावेजों को निर्धारित समयावधि में सभा पटल पर क्यों नहीं रखा जा सका, सभा पटल पर 30 दिनों के भीतर या जैसे ही सदन समवेत हो, जो भी बाद में हो, रखा जाना चाहिए ।

नई दिल्ली — रितेश पाण्डेय

20 दिसम्बर, 2021 — सभापति

29 अग्रहरायण,1943 (शक) — सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति

---

*2017-18 से 2019-20 तक के 13.12.2021 को और 2019-20 के 7.2.2022 को सभापटल पर रखे गए।

अनुबंध-I

(प्रतिवेदन का पैरा **3** देखें**)**

एनएमएमएल को गत पाँच वर्षों के दौरान सहायता अनुदान वेतन, सामान्य और पूंजीगत परिसम्पत्तियों को सृजन (स्वच्छता कार्य योजना समेत) शीर्षों के तहत आवृति अनुदान प्राप्त हुए हैं। एनएमएमएल को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 'भारत के प्रधान मंत्रियों पर संग्रहालय (एम ओ पी एम) संबंधी परियोजना के तहत भी अनुदान प्राप्त हुए हैं। तत्संबंधी विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	**सहायता अनुदान वेतन (रूपये लाख में)**
2015-16	1664.31
2016-17	1490.60
2017-18	2112.68
2018-19	1644.87
2019-20	2158.01
2020-21	1841.78

अनुबंध-II

(प्रतिवेदन का पैरा **5** देखें**)**

नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय (एनएमएमएल), नई दिल्ली के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की तिथियों को दर्शाने वाला विवरण।

वर्ष	**निर्धारित तिथि**	**वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने की तिथि**	**विलंब की सीमा**
2015-2016	31.12.2016	19.03.2018	15 माह
2016-2017	31.12.2017	31.12.2018	12 माह
2017-2018	31.12.2018	रखे नहीं गए	-
2018-2019	31.12.2019	रखे नहीं गए	-
2019-2020	31.12.2020	रखे नहीं गए	-

***2017-18 से 2019-20 तक के 13.12.2021 को और 2019-20 के 7.2.2022 को सभापटल पर रखे गए।**

अनुबंध-III

(प्रतिवेदन का पैरा 6 देखें)

2015-2016

क्र.सं.	कार्यकलाप	तिथि
1.	लेखाओं को पूरा करने की तिथि	13.02.2017
2.	लेखा-परीक्षा के लिए एनएमएमएलकी कार्यकारी परिषद में लेखाओं के अनुमोदन की तिथि	28.02.2017
3.	लेखा-परीक्षा आरंभ होने की तिथि	07.03.2017
4.	लेखा-परीक्षा पूरी होने की तिथि	16.03.2017
5.	एनएमएमएल द्वारा प्रारूप लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त करने की तिथि	27.03.2017
6.	एनएमएमएल द्वारा प्रारूप लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन का उत्तर देने की तिथि	27.03.2017
7.	लेखा-परीक्षा कार्यालय, नई दिल्ली से एनएमएमएल द्वारा अंतिम लेखा एवं लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त करने की तिथि	30.03.2017
8.	एनएमएमएल सोसाइटी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा परीक्षित लेखाओं के अनुमोदन की तिथि	22.08.2017
9.	संसद में रखे जाने के लिए एनएमएमएल द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा परीक्षित लेखाओं को मंत्रालय में प्रस्तुत करने की तिथि	15.12.2017
10.	सदन में वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा परीक्षित लेखाओं को रखने की तिथि	19.03.2018

2016-2017

क्र.सं.	कार्यकलाप	तिथि
1.	लेखा पूरा करने की तिथि	24.10.2017
2.	लेखा-परीक्षा के लिए एनएमएमएल की कार्यकारी परिषद में प्रारूप लेखाओं के अनुमोदन की तिथि (परिचालन द्वारा)	नवंबर, 2017
3.	लेखा-परीक्षा आरंभ होने की तिथि	12.12.2017
4.	लेखा-परीक्षा पूरी होने की तिथि	20.12.2017
5.	एनएमएमएल द्वारा प्रारूप लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त करने की तिथि	10.01.2018
6.	एनएमएमएल द्वारा प्रारूप लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन का उत्तर देने की तिथि	22.01.2018
7.	लेखा-परीक्षा कार्यालय, नई दिल्ली से एनएमएमएल द्वारा अंतिम लेखा एवं लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन प्राप्त करने की तिथि	20.02.2018
8.	एनएमएमएल द्वारा कार्यकारी परिषद की बैठक में अंतिम वार्षिक प्रतिवेदन के अनुमोदन की तिथि	25.05.2018
9.	एनएमएमएल सोसाइटी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखाओं के अनुमोदन की तिथि	26.07.2018
10.	एनएमएमएल द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखाओं को संसद में सभा पटल पर रखने के लिए उन्हें मंत्रालय में भेजने की तिथि	30.10.2018
11.	वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखाओं को सदन के पटल पर रखने की तिथि	31.12.2018

(प्रतिवेदन का पैरा **6** देखें**)**

वर्ष	विलंब के कारण
2017-18	अक्टूबर, 2019 एनएमएमएल को पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त हुई और 17 फरवरी, 2020 को कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित की गई। एनएमएमएल सोसाइटी के एजीएम का अनुमोदन प्रतीक्षित है जिसे कोविड-19 महामारी के कारण प्राप्त नहीं किया जा सका। तत्पश्चात इसे मंत्रालय को संसद में रखने के लिए भेजा जाएगा।
2018-19	वित्तीय वर्ष 2018-19 के लेखा भी कोविड-19 महामारी के कारण विलंबित हो गए। दिसम्बर, 2020 में एनएमएमएल द्वारा पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त की गई और 14 जनवरी, 2021 को कार्यकारी परिषद द्वारा उसे अनुमोदित किया गया। अब इस पर एनएमएमएल सोसाइटी के एजीएम का अनुमोदन प्रतीक्षित है जो कोविड-19 महामारी के कारण प्राप्त नहीं किया जा सका। तत्पश्चात इसे मंत्रालय को संसद में रखने के लिए भेजा जाएगा।
2019-20	वैश्विक कोविड-19 महामारी और सरकार द्वारा उसके परिणामस्वरूप लगाए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान लेखाओं के संकलन में विलंब हुआ है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतिम लेखाओं को प्रमाणन लेखा-परीक्षा आयोजित करने के लिए महानिदेशक लेखा-परीक्षा कार्यालय में भेज दिया जाता है।

अनुबंध-IV

(प्रतिवेदन का पैरा **6** देखें**)**

वर्ष 2015-16 से 2019-20 के एनएमएमएल के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा-परीक्षित लेखाओं को अंतिम रूप देने और प्रत्येक चरण पर मंत्रालय द्वारा किए गए समय के संबंध में सूचना

उप-प्रश्न	बिन्दु	वित्तीय वर्ष				2019-20
		2015-16	2016-17	2017-18		
7 (i)	लेखा-परीक्षा प्राधिकारियों से संपर्क करने की तारीख	01.03.2017	24.10.2017	26.02.2019	अगस्त, 2019	04.02.2021
	लेखा-परीक्षा वर्ष की समाप्ति के पश्चात लगा समय					
7 (ii)	सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति की तारीख	07.03.2017	12.12.2017	26.02.2019	अगस्त, 2019	04.02.021
	लेखा-परीक्षकों को नियुक्त करने के लिए लेखा-परीक्षा प्राधिकारियों से संपर्क करने के पश्चात लगा समय					
7(iii)	वार्षिक लेखाओं के संकलन करने की तारीख	13.02.2017	24.10.2017	24.10.2018	31.07.2019	04.02.021
	लेखा-परीक्षा वर्ष की समाप्ति के पश्चात लगा समय					
7(iv)	लेखा-परीक्षकों को वार्षिक लेखा प्रस्तुत करने की तारीख	01.03.2017	नवंबर, 2017	26.02.2019	अगस्त, 2019	04.02.021
	संबंधित लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात लगा समय					

7(v)	सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा वार्षिक लेखाओं की लेखा-परीक्षा की अवधि और तारीख	07.03.2017 से 16.03.2017	12.12.2017 से 20.12.2017	26.02.2019 से 07.03.2019	25.09.2019 से 04.10.2019	24.02.2021 से 04.03.2021
7(vi)	वार्षिक लेखाओं की लेखा-परीक्षा के दौरान/ के बाद लेखा-परीक्षा के दौरान/वार्षिक लेखाओं के पूरा होने के पश्चात लेखा-परीक्षकों द्वार उठाए गए प्रश्नों की तारीख।	07.03.2017 से 16.03.2017	12.12.2017 से 20.12.2017	26.02.2019 से 07.03.2019	25.09.2019 से 04.10.2019	24.02.2021 से 04.03.2021
	लेखा-परीक्षा के दौरान/वार्षिक लेखाओं के पूरा होने के पश्चात लेखा-परीक्षकों द्वारा लेखा-परीक्षा प्राधिकारियों हेतु उठाए गए प्रश्नों में लिया गया समय					
7(vii)	लेखा-परीक्षकों को लेखा-परीक्षा प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत करने की तारीख	07.03.2017 to 16.03.2017	12.12.2017 to 20.12.2017	26.02.2019 to 07.03.2019	25.09.2019 to 04.10.2019	
	प्रश्नों का समाधान करने में लिया गया समय					
7(viii)	लेखा-परीक्षा प्राधिकारियों द्वारा मसौदा लेखा- परीक्षा रिपोर्ट जारी करने की तारीख	27.03.2017	10.01.2018	13.06.2019	18.12.2019	
	वार्षिक लेखाओं की लेखा-परीक्षा के बाद लगा समय					
7(ix)	संगठन द्वारा अंतिम लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करने की तारीख	30.03.2017	20.02.2018	07.10.2019	30.12.2020	
	मसौदा रिपोर्ट जारी करने के पश्चात लगा समय					

7(x)	लेखा-परीक्षा प्राधिकारियों द्वारा वार्षिक लेखों की प्राप्ति से लेकर संगठन को अंतिम लेखा-परीक्षा रिपोर्ट उपलब्ध कराने तक लिया गया कुल समय	1 माह के भीतर	2 माह	8 माह	15 माह	
7(xi)	वार्षिक रिपोर्ट को अंतिम रूप देने की तारीख			26.2.2019		
	वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात लिया गया समय; और					
	अंतिम लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात लगा समय					
7(xii)	सक्षम प्राधिकारी द्वारा दस्तावेज अनुमोदित किए जाने की तारीख वार्षिक रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के पश्चात लगा समय अंतिम वार्षिक लेखा रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात लगा समय	09.08.2017	25.05.2018	17.02.2020	14.01.2021	
7(xiii)	दस्तावेजों को अनुवाद एवं मुद्रण के लिए भेजे जाने की तारीख	21.08.2017	04.06.2018	02.03.2020	18.01.2020	
	प्रत्येक चरण पर कार्य को पूरा करने में लगा समय					

7(xiv)	प्रत्येक चरण पर कार्य को पूरा करने के पश्चात सभापटल पर दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के लिए मंत्रालय में भेजे जाने की तारीख संगठनों द्वारा मंत्रालय को दस्तावेज भेजने में लगा समय					
7(xv)	सभा पटल पर दस्तावेजों को रखे जाने की तारीख	19.03.2018	19.12.2018			
	संगठन से दस्तावेजों की प्राप्ति के पश्चात लगा समय					

परिशिष्ट-I

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2020-2021) की दूसरी बैठक के कार्यवाही सारांश का सार

समिति की बैठक बुधवार, 10 मार्च, 2021 को 1500 बजे से 1700 बजे तक तक समिति कक्ष "बी", संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री रितेश पाण्डेय - सभापति

सदस्य

2. डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क
3. चौधरी महबूब अली कैसर
4. श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल
5. श्री टी. एन. प्रथापन

सचिवालय

1. श्रीमती सुमन अरोड़ा - संयुक्त सचिव
2. श्रीमती बी. विशाला - निदेशक
3. श्री आर. के. चौधरी - उप सचिव

XX XX XX XX

संस्कृति मंत्रालय और नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय (एनएमएमएल), नई दिल्ली के प्रतिनिधि

1. सुश्री संयुक्ता मुदगल - संयुक्त सचिव
2. श्री दलपत सिंह कोली - उप सचिव (एएंडए), संस्कृति मंत्रालय
3. डा. रवि मिश्रा - उप सचिव, एनएमएमएल
4. डा. गौरव कुमार - वित्त नियंत्रक, एनएमएमएल

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और बैठक आयोजित करने का उद्देश्य बताया।

3. से 7. XX XX XX XX

8. इसके बाद, संस्कृति मंत्रालय और नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय (एनएमएमएल), नई दिल्ली के प्रतिनिधियों को वर्ष 2015-16 से 2019-20 तक के नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के संबंध में समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य देने के लिए अंदर बुलाया गया।

9. सभापति ने मंत्रालय तथा एनएमएमएल के प्रतिनिधियों का समिति की बैठक में स्वागत किया और उन्हें बैठक आयोजित करने के प्रयोजन से अवगत कराया। सभापति ने कार्यवाही की गोपनीयता के संबंध में लोक सभा अध्यक्ष के निदेश के निदेश 58 के उपबंधों के बारे में भी साक्षियों को बताया।

10. समिति ने इस तथ्य को गंभीरता से लिया कि एनएमएमएल के वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दस्तावेजों को प्रत्येक वर्ष 12 माह के विलंब से सभा पटल पर रखा गया और वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक के दस्तावेजों को अभी तक सभा पटल पर नहीं रखा गया है। साक्ष्य के दौरान, मंत्रालय द्वारा बताए गए कारणों से समिति संतुष्ट नहीं थी कि एजीएम की बैठक का आयोजन न होने के कारण, जिसकी अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, विलंब के प्रमुख कारण थे क्योंकि बाद में मंत्रालय/एनएमएमएल ने स्वतः ही स्वीकार किया था कि इन वर्षों के वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप देने के चरणों में भी विलंब हुआ था। मंत्रालय/एनएमएमएल के प्रतिनिधि ने समिति को अंतिम लेखाओं के संकलन तथा प्रस्तुतीकरण में सुधार करने के लिए किए गए कुछ ठोस प्रयासों से अवगत कराया। उनके द्वारा यह भी बताया गया था कि एनएमएमएल के वित्तीय तथा लेखा स्कंध में दो नए पद अर्थात वित्त नियंत्रक और आंतरिक लेखा परीक्षक सृजित किए गए हैं एवं भर लिए गए हैं । इससे उन्हें सहायता होगी तथा लेखाओं के समुचित अनुरक्षण तथा लेखाओं के समय से संकलन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने समिति को आश्वस्त किया कि गत तीन वर्षों अर्थात 2017-18 से 2019-20 तक के लंबित दस्तावेजों को संसद के 2021 के मानसून सत्र के दौरान सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

11. तत्पश्चात, माननीय सभापति ने विषय की जांच के संबंध में उपयोगी चर्चा करने के लिए मंत्रालय और संस्थान के प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया।

तत्पश्चात्, साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

समिति की बैठक की शब्दशः कार्यवाही की एक प्रति रिकॉर्ड में रखी गई है।

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

(XX- साक्ष्य कार्यवाही और उसके कार्यवाही सारांश जो विषय से संबंधित नहीं हैं, अलग से रखे गए हैं।)

परिशिष्ट-II

सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति (2021-2022) की बैठक का कार्यवाही सारांश के उद्धरण

समिति की बैठक, **सोमवार**, 20 **दिसम्बर**, 2021 को 15:00 बजे से 16:50 बजे तक समिति कक्ष '**ग**', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई ।

उपस्थित

श्री रितेश पाण्डेय - **सभापति**

सदस्य

2. श्री पल्लब लोचन दास
3. चौधरी महबूब अली कैसर
4. श्री राजा अमरेश्वर नाईक
5. श्री सप्तगिरी **शंकर** उलाका
6. श्री अशोक कुमार यादव

सचिवालय

1. **श्रीमती सुमन अरोड़ा** - संयुक्त सचिव
2. श्री मुनीश कुमार रेवाड़ी - अपर निदेशक
3. **श्रीमति मंजिन्दर पब्बी** - अवर सचिव

XX XX XX XX XX

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें इस बैठक की कार्यसूची से संक्षेप में अवगत कराया।

3. तत्पश्चात्, समिति ने निम्नलिखित **चार (4) प्रतिवेदनों** को विचार करने के लिए लिया :-

मूल प्रतिवेदन

i. नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय (एन.एम.एल.), नई दिल्ली की वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा के पटल पर रखने में विलम्ब; तथा

ii. नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा की वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा के पटल पर रखने में विलम्ब ।

की गई कार्रवाई प्रतिवेदन

iii. जम्मू और कश्मीर सर्व शिक्षा अभियान (उजाला सोसाइटी), जम्मू, के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के संबंध में समिति द्वारा अपने उनतीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में सभापटल पर रखे गए पत्रों पर समिति द्वारा की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सर कार द्वारा की गई कार्रवाई; और

iv. रेल संरक्षा आयोग (सीआरएस), लखनऊ, उत्तर प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखापरीक्षित लेखाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के संबंध में समिति द्वारा 17वीं लोक सभा के 26वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई

4. चर्चा करने के उपरांत, समिति ने बिना किसी संशोधनों के **इन चार** प्रारूप **प्रतिवेदनों** को स्वीकार किया। समिति ने संबंधित मंत्रालयों से प्राप्त इन प्रतिवेदनो (केवल मूल प्रतिवेदन) के तथ्यात्मक सत्यापन के आधार पर इन प्रतिवेदनो को संसद में प्रस्तुत करने के लिए माननीय सभापति को अधिकृत किया।

5. से 17.

XX XX XX XX XX

तत्पश्चात्, समिति की बैठक स्थगित हुई।

(XX- साक्ष्य कार्यवाही और उसके कार्यवाही सारांश जो विषय से संबंधित नहीं हैं, अलग से रखे गए हैं।)